



# कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, अलवर-1

(निदेशालय प्रसार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)



नौगांवा- 301025, अलवर (राजस्थान), दरभाष-01468-294276, Email:-kvknavgaon@gmail.com

क्रं./वरि.वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2026-27/31-38

नौगांवा, (अलवर) दिनांक :10.04.2026

## दर निर्धारण खुली निविदा

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र नौगांवा, जिला अलवर द्वारा निम्नानुसार सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग निविदा भरें एवं निविदा सम्बन्धी सभी अर्हताएं एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी है एवं कार्यालय सुचना पट्ट तथा वेबसाइट [www.sknav.ac.in](http://www.sknav.ac.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है।

1. कार्य का नाम व क्रमांक	भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तिय वर्ष 2026-27
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नगद
4. धरोहर राशि की प्रकृति	15000/- रुपये बैंक का ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में
5. कार्य की अनुमानित मात्रा	सस्थांगत व असस्थांगत प्रशिक्षणों में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था लगभग 5.00 लाख रु.
6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	21.04.2026 को सुबह 11.00 बजे तक
7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	21.04.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक
8. निविदा खोलने की दिनांक व समय	21.04.2026 को दोपहर 2.00 बजे
9. पृष्ठ संख्या पांच से सात	निविदा की शर्तें
10. पृष्ठ संख्या एक - पृष्ठ संख्या आठ	चाय, नाश्ते व भोजन की दरें
11. पत्राचार हेतु पता-वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर पिन नं. 301025	फोन नं.: 01468-294276 (कार्यालय) मोबाईल नं- 9424275467 Email:- kvknavgaon@gmail.com
NIB Code: SKN2627A0005	UBN:SKN2627SSRC00006

निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

क्रं./वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2026-27/32-38 नौगांवा, (अलवर) दिनांक : 10.04.2026

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया प्रतिनिधि भेजने का कष्ट करें।
4. सरस्थां सलाहकार समिति प्रभारी/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
5. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. कृषि विज्ञान केन्द्र/ कृषि महाविद्यालय/ कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा, अलवर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. रक्षित फाइल

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head  
KVK, ALWAR-1

## निविदा की शर्तः-

1.	यह दर संविदा अनुबंध पत्र निष्पादित करने से एक वर्ष तक मान्य होगी है।
2.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर " भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था" लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगावा, जिला अलवर को प्रेषित होनी चाहिए।
3.	<p>➤ सीलबन्द एक लिफाफे तकनीकी रूप से सम्मिलित करने हेतू निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके ऊपर बाहर <u>तकनीकी दस्तावेज</u> लिखा जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फूड (Food) वैद्य लाईसेन्स एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति</li> <li>2. सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन/पेन कार्ड नम्बर की प्रति</li> <li>3. निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित। 4. पैनकार्ड की छायाप्रति ।</li> <li>5. धरोहर राशि 15000/- रुपये बैंक का ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में</li> <li>6. फर्म के लेटर हेड पर फर्म द्वारा घोषणा की फर्म काली सूची में नहीं है एवं किसी सरकारी कार्यालय द्वारा कोई आक्षेप लम्बित नहीं है। (प्रपत्र-ब), अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो।</li> </ol> <p>➤ सीलबन्द दुसरे लिफाफे में वित्तीय रूप से सम्मिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं० 1 आवश्यक एवं अलग से रखा जावे। जिसके उपर बाहर <u>वित्तीय दरें</u> लिखा जावे।</p> <p>➤ दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जावें</p> <p>➤ तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।</p>
4.	निविदादाताओं द्वारा धरोहर राशि के लिए रू. 15000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट Senior Scientist and Head, KVK Navgaon के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।
5.	अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय-समय पर दी जाती रहेगी।
6.	भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली, सरसों का प्रयोग करना होगा एवं सब्जी ऋतु के अनुसार अलग-अलग प्रकार की व ताजा देनी होगी।
7.	भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा एवं भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8.	भोजन/ चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदादाता की होगी एवं भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा।
9.	भोजन व्यवस्था/ केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। भोजन आपूर्ति (भोजन बनाने) हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री (भगोना, परात, गैस, सिलेण्डर इत्यादि) केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। उक्त सामग्री की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
10.	उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेंगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र नौगावा (अलवर) का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
11.	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG & AR, TTPA2012, वं RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की रहेगी।
12.	दर्शित कार्य ठेकेदार को कार्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि ठेकेदार/फर्म से वसूलनीय होगी।
13.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी। आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था द्वारा ठेकेदार / फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।
14.	भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दशा में धरोहर व अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।

15.	उपायन व पारदर्शिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि संभव हो सकेगी।
16.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फूड (Food) वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं सर्विस टैक्स / GST हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
17.	कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग-अलग कार्यों के लिए पृथक-पृथक निविदादाता / फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत या निगोसियेशन के आधार से किया जायेगा।
18.	ठेकेदार / फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/ फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा। आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार / श्रमिक की होगी।
19.	प्रस्तावित दर भरने से पूर्व भोजन मैनु ध्यानपूर्वक पढ़ले किसी भी प्रकार की कांट-छांट स्वीकार नहीं होगी।
20.	भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशों में करनी होगी व उनके संतुष्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
21.	खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाली फर्म के पास खाद्यान्न सप्लाई लाईसेन्स एवं आयकर विभाग का पैन नम्बर होना अनिवार्य है। फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
22.	भोजन प्रशिक्षण स्थल पर मीनू के अनुसार ताजा बनाकर खिलाना होगा एवं भोजन बनाने एवं खिलाने, सफाई आदि समस्त सामग्री एवं कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
23.	भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
24.	लागत के हिसाब से प्रतिदिन का मीनू बनाना होगा तथा दो दिवसीय/ तीन दिवसीय/ पाँच दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग-अलग होगा।
25.	भोजन केन्द्र के किसान घर में बनाना होगा। खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी फर्म, निविदादाता को करनी होगी।
26.	ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा एवं यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु नहीं दिया जायेगा।
27.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरियता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
28.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नहीं दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा।
29.	सफल निविदादाता को 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व स्वच्छ एवं ताजा भोजन बनाकर देने व कार्यरत श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
30.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
31.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
32.	निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
33.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
34.	मैं निविदा की समस्त शर्तों से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
35.	मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार भोजन व्यवस्था की आपूर्ति करने हेतु सहमत हूँ।



Senior Scientist & Head  
AWAR-1  
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैं ..... उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ।

---

हस्ताक्षर ठेकेदार

**निविदादाता द्वारा सस्थांगत व असस्थांगत प्रशिक्षण में सप्लाई किये जाने  
वाले भोजन का विवरण एवं मीन्यू के अनुसार दरों का विवरण वर्ष  
2026-27**

मिन्नु क्रमांक	कार्य का विवरण (मिन्नु)	अधिकतम दर	निविदादाता द्वारा दी गयी दरें
1.	नश्ता पैकेट-समोसा /कचौड़ी + एक पीस मिठाई/लड्डू + एक केला + 30-35 ग्राम सलोनी/नमकीन मिक्सर/ बिस्किट पेकेट छोटा	40/- रुपये	
2.	नश्ता पैकेट-समोसा /कचौड़ी + दौ पीस मिठाई/लड्डू + दो केला + 50-60 ग्राम सलोनी/नमकीन मिक्सर/ बिस्किट पेकेट छोटा	50/- रुपये	
3.	भोजन पैकेट- एक सूखी सब्जी (मिक्स) + पूड़ी-10 नग + मिक्स अचार + 2 पीस लड्डू + सलाद + हरी मिर्च 2 पीस तली हुई	65/- रुपये	
4.	सुबह एवं सांय- चार बिस्किट (मिठे/नमकीन) + चाय	75/- रुपये	
	दोपहर खाना -पूड़ी/ रोटी + एक सूखी सब्जी + तरल सब्जी/ दाल + चावल + रायता + एक मिठाई + सलाद + अचार		
5.	सुबह नाश्ता- पोहा/उपमा/पकोडी/कचोरी/समोसा/ब्रेड पकोड़ा + एक लड्डू + दो केला + चाय	110/- रुपये	
	दोपहर खाना -पूड़ी/रोटी + सूखी सब्जी + तरल सब्जी + दाल + चावल + रायता + एक मिठाई + अचार + सलाद+ पापड		
	सांय 4:00 बजे- चाय + बिस्किट		
6.	सुबह नाश्ता- पोहा/उपमा/पकोडी/कचोरी/समोसा/ब्रेड पकोड़ा +चटनी+एक लड्डू+दो केला + चाय	150/- रुपये	
	दोपहर खाना - चुरमा (देशी घी)/हलवा/खीर +बाटी/पूड़ी/रोटी + सूखी सब्जी + तरल सब्जी + दाल + चावल + रायता + एक मिठाई +सूप/आइसक्रीम + अचार + सलाद+ पापड +हरी मिर्च तली हुई		
	सांय 4:00 बजे- चाय + बिस्किट		
7.	सुबह नाश्ता- पोहा/उपमा/पकोडी/कचोरी/समोसा/ब्रेड पकोड़ा + दो लड्डू + दौ केला + चाय	200/- रुपये	
	दोपहर खाना -चुरमा (देशी घी)/हलवा/खीर +बाटी/पूड़ी/रोटी + सूखी सब्जी + तरल सब्जी + दाल + चावल + रायता + एक मिठाई +सूप/आइसक्रीम +अचार + सलाद+ पापड +हरी मिर्च तली हुई		
	सांय 4:00 बजे- चाय + बिस्किट		
	रात का भोजन- पूड़ी/रोटी (चुपड़ी हुई) + तरल सब्जी + दाल + सूखी सब्जी + चावल+ रायता + एक पीस मिठाई+ अचार + सलाद+ पापड		

मैं निविदा की समस्त शर्तों से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

मय पता

व टेलीफोन नं0 सहित

## निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हू/करते है कि मेंनें/ हमनें प्लेसमेन्ट कार्य / सेवा ईकाई द्वारा जहां कहीं भी कार्य आपूर्ति की है उस आपूर्ति में विगत तीन वर्षों में आपूर्ति सेवा ईकाईयों के संतोषप्रद कार्य करने / होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/एजेन्सी /उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया है एवं किसी सरकारी कार्यालय अथवा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की कोई ईकाई द्वारा किसी प्रकार का कार्य/ भुगतान से सम्बन्धित आक्षेप लम्बित नहीं है।

मैं/हम घोषणा करता हू/करते है कि मेरा /हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा/सामग्री प्रदायगी में डिफाल्टर का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत मुझे/हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मौहर